न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 42 / 2009
दायर दिनांक :– 25.01.2009

अनवान

1. श्री बन्ना लाल पिता उगमा जाट नि. रोपां तह. जहाजपुर
2. श्री बेदा पिता उगमा जाट नि. रोपां तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. श्री सोकरण पिता हजारी जाट नि. नि. रोपा तह. जहाजपुर
2. श्री हंसराज पिता सोकरण जाट नि. रोपा तह. जहाजपुर
3. श्री सोराज पिता सोकरण जाट नि. रोपा तह. जहाजपुर
4. श्री महावीर पिता सोकरण जाट नि. रोपा तह. जहाजपुर
5. श्रीमति मनभर पत्नि हंसराज जाट नि. रोपा तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अंजनी कुमार शर्मा, एडवोकेट वादीगण
2. श्री ओमप्रकाश मुन्दडा, एडवोकेट प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 09.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आ.सं. 2518 रकबा 2.07 बीघा, आ.न. 2519 रकबा 0.17 बीघा, आ.न 2730 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 3 रकबा 4.02 बीघा ग्राम रोपा में स्थित है। इनमें से आ. सं. 2518 व 2519 जो आराजी चाह सं. 2514 से सिचिंत होती हैं को वादीगण ने रामचन्द्र व कासी पिता केला जाट नि. रोपा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी। रामचन्द्र कासी पिता केला जाट लाऔलाद फौत हो चुका हैं। वादीगण के संयुक्त खाते एव कब्जे काश्त की आराजी सं. 2521 रकबा 01.02 बीघा आ.न. 2523 रकबा 1.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 2.02 बीघा ग्राम रोपा में स्थित हैं। इनमे वादीगण का 1 / 2 हिस्सा दर्ज है। इनमें आ. सं. 2521 व 2523 जो आराजी चाह सं. 2514 से सिंचित होता हैं कुए के हिस्से सहित चुन्नी लाल पिता गोकल जाट का 1 / 2 हिसा वादीगण ने चुन्नीलाल पिता गोकल जाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। चुन्नी लाल पिता गोकल जाट करीब 10 साल से लापता हैं। समस्त आराजियात को क्रय करने के बाद से वर्तमान तक वादीगण शांतिपुर्वक काबिज होकर फसल काश्त करते चले आ रहे हैं और आराजी चाह सं. 2514 से अपने हिस्सेनुसार अपने खेतो में सिंचाई करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व अधिकारियों ने भूलवश उपरोक्त आराजियात के खाते में विक्रेता के बजाय वादीगण का नाम दर्ज कर दिया लेकिन आराजी चाह सं. 2514 के खाते में वादीगण का नाम दर्ज नही किया इस कारण आज भी उक्त आ.चा. में विक्रेतागण का नाम ही चला आ रहा है। जिरो

उपखण्ड अधिकारी

विलोपित कराकर वादीगण का नाम बतौर 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। वादीगण को आराजी चाह सं. 2514 में खातेदार 1/4 को विलोपित कर एवं चुन्नीवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये। प्रतिवादीगण की और से श्री ओमप्रकाश मुन्दडा एडवोकेट का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया।

वादीगण ने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067. नकल नक्शा ट्रेस, विक्रय पत्र की नकल पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने बताया की उक्त कुआ वादीगण द्वारा खरीदा गया है लेकिन भुलवश विक्रय पत्र में लिखने से छुट गया। उक्त कुए पर वादीगण का ही कब्जा है। जिससे उक्त आराजी चाह सं. 2514 में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की उक्त आ.चा. का हिस्सा विक्रय पत्र अनुसार नही खरीदा गया है। कुएं में खातेदारी हेतु नियमानुसार पंजियन शुल्क अदा करने पर एवं केता की सहमति से ही आ.चा. में हिस्सा दर्ज हो सकता है। जिसे न्यायालय वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:31:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: